"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258] रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2021 — चैत्र 10, शक 1943

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–27/2021/वा.क.(आब.)/पांच(26).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उप–धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

1. उक्त नियमों में :–

(1) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 14 के मूल उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम 14(2) प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"14 (2)" :– किसी भी अनुज्ञप्तिधारक को तब तक कोई अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जायेगा, जब तक कि परिवहन की जाने वाली मात्रा का विचार किये बिना, प्रत्येक अनुज्ञा पत्र के लिये एफ.एल.2, एफ.एल.3, एफ.एल.3(क), एफ.एल.4, एफ.एल.4(क), एफ.एल. 5, एफ.एल.5(क), एफ.एल.6, एफ.एल.7 एवं एफ.एल.8 के अनुज्ञप्तिधारक द्वारा "पांच सौ रूपये" तथा एफ.एल.9, एफ.एल.9(क), एफ.एल.10, एफ.एल.10(क), एफ.एल.10(ख) एवं एफ.एल.11 के अनुज्ञप्तिधारक द्वारा "पन्द्रह सौ रूपये" की दर से परिवहन फीस का अपने जिले के कोषालय में पूर्ण संदाय न कर दिया हो।

2. उक्त संशोधन दिनांक 01–04–2021 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 26 मार्च 2021

क्रमांक एफ 10–27/2021/वा.क.(आब.)/पांच(26).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26–03–2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 26th March 2021

NOTIFICATION

No. F 10-27/2021/CT/(EX)/V(26).— In exercise of the powers conferred under proviso of sub-section(3) along with sub-section(1) and clause (d), (e), (f), (g), and (h), of sub-section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby prescribes following more amendment in Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, i.e. :-

AMENDMENT

1. In the above rules :-

(1) The sub-rule (2) of rule 14 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, to be replaced as follows :-

14(2) :- The transport permit, without considering the quantity of liquor to be transported, shall not be issued unless transportation fees at the rate of " Five hundred rupees" for the licensees of F.L. 2, F.L. 3, F.L. 3(a), F.L. 4, F.L. 4(a), F.L. 5, F.L. 5(a), F.L. 6, F.L. 7, F.L. 8 and at the rate of "Fifteen hundred rupees" for the licensees of F.L. 9, F.L. 9(a), F.L. 10, F.L. 10(a), F.L. 10(b) and F.L 11, is not deposited in full, in the treasury of its district concerned.

2. The above amendment shall be applicable from 01-04-2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A.P. TRIPATHI , Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.